

नम्बर  
अहकाम  
की तारीख

पत्रावली प्रस्तुत। वकील उभयपक्ष उपस्थित  
पत्रावली वाले बहस दिनांक 21/10/16  
के पेश ही।

21/10/16  
[Signature]

अहकाम प्रस्तुत उपस्थित/पीठासीन  
अहकाम प्रस्तुत होने से  
दिनांक 22/11/16 को पेश हो।

पत्रावली प्रस्तुत। वकील उभयपक्ष उपस्थित  
वकील वाली बहस हुए समय चाहते हैं जो किया  
जाकर पत्रावली दिनांक 10.11.17 को पेश ही।

[Signature]

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित  
बहस सुनी गई। पत्रावली वाले अहकाम  
दिनांक 24.01.2017 को पेश ही।

[Signature]

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित  
उपस्थित। वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं  
पाये जाने से अहकाम दिया जाता है।  
विवाद विधि प्रकृत से किया जाता है।  
संलग्न पत्रावली दिया गया। पत्रावली  
निर्णय होकर संलग्न से उभयपक्ष

विधि सुनाया गया।

24/1/17

पीठासीन होने से को पेश हो।

पीठासीन होने से को पेश हो।

पीठासीन होने से को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी कोटड़ा जिला उदयपुर (राज.)  
वाद डिक्री

आदेश नम्बर- गोपाल लाल मीना, आर.ए.एस.  
दिनांक 07/2010

वादी पक्ष

1. श्री सुभाष चन्दा पिता मेना गरासिया के बजाय
2. श्री सुभाष चन्दा पिता मेना गरासिया निवासी पिलका तहसील कोटड़ा।
3. श्री लालचन्द पिता नाना गरासिया निवासी पिलका तहसील कोटड़ा।
4. श्री रामचन्द पिता मोती गरासिया निवासी पिलका तहसील कोटड़ा।
5. श्री देवदास पिता मोती गरासिया निवासी पिलका तहसील कोटड़ा।
6. श्री कालचन्द पिता मोती गरासिया निवासी पिलका तहसील कोटड़ा।
7. श्री लालचन्द पिता मोती गरासिया निवासी पिलका तहसील कोटड़ा।
8. श्री मोती चंदा पत्नी मोती गरासिया निवासी पिलका तहसील कोटड़ा।

प्रतिवादी पक्ष

1. श्री गोपाल पिता धन्ना गरासिया निवासी पिलका तहसील कोटड़ा।
2. श्री चंदा पिता रोडा गरासिया निवासी पिलका तहसील कोटड़ा।
3. श्री देवीदास पिता रोडा गरासिया निवासी पिलका तहसील कोटड़ा।
4. श्री लालचन्द पिता पेता गरासिया निवासी पिलका तहसील कोटड़ा।
5. श्री उन्ना पिता उदा गरासिया निवासी पिलका तहसील कोटड़ा।
6. श्री देवीदास पिता उदा गरासिया निवासी पिलका तहसील कोटड़ा।
7. श्री बाबूदा पिता नूरा गरासिया निवासी पिलका तहसील कोटड़ा।
8. मुन्धारी जरिये तहसीलदार कोटड़ा।

वाद बचत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 92 ए आर.टी.एक्ट

वादी की ओर से- श्री हामिद हुसैन कुरेशी

प्रतिवादी की ओर से- श्री खुमाणसिंह राव

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 24-01-2017 को प्रस्तुत होने पर वादी का वाद साबित नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है।

(गोपाल लाल मीना)  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटड़ा उदयपुर  
कोटड़ा (उदयपुर)